कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली

पत्रांक / 2448/NOC दिनांक : 12/10/21

सेवामें,

डिप्टी जनरल मैनेजर
गेल (इण्डिया) लिमिटेड
गेल भवन, 16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली–110066, इंडिया।

विषय :– **Permission for lay 4' Gas pipe line along and across road from GAIL (SV-II) to HPCL CGD CGS Station at Bareilly for HPCL CGD Hook Up at Bareilly (950 mtr.).**

संदर्भ :– आपका पत्रांक–GAIL/Bareilly/PWD/002 Dated 30-09-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि शाखा प्रबन्धक, एस0बी0आई0 बैंक, बरेली का डी0डी न0 977062 दिनांक 04.09.2021 के द्वारा रू0 1382.00 (नॉन रिफण्डेबिल) हेतु एवं शाखा प्रबन्धक, एस0बी0आई0 बैंक, औरैया बैंक गारण्टी नम्बर 0193721BG0000024 दिनांक 02.09.2021 रू0 2,62,200.00 मात्र परफार्मेन्स बैंक गारण्टी (रिफण्डेबिल) इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शा0सं0 760/नो–9–2018–101ज/17 दिनांक 30.05.2018 के अनुपालन में विषयक कार्य हेतु बरेली बदायूं मार्ग (कैण्ट ब्रान्च) से चौबारी मार्ग के मध्य भाग से बायीं ओर 15.00 मी0 छोडकर मार्ग के कच्चे भाग में मिट्टी खोदकर नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ0एफ0सी0 केबिल (आप्टिकल फाईबर) बिछाने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ की जाती है:–

1. रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी/बोर्ड/बैरीकेटस व रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था की जाये। कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
2. यातायात में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न की जाये।
3. भूमिगत नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं को क्षति पहुंचने की स्थिति में उसे पूर्व की भांति तत्काल मरम्मत कराने का दायित्व आपका होगा।
4. आबादी भाग में खोदे गये गडढे के चारों ओर से बैरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जाये, ताकि गडढ़े में कोई व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाये। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता/कार्यदायी संस्था का होगा।
5. **पुर्नस्थापना की गुणवत्ता कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लो0नि0वि0 की संतुष्टि और विशिष्टियों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।**
6. **भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य आवश्यकता होने पर आपके द्वारा गैस पाइपलाइन एवं ओ0एफ0सी0 केबिल स्थानान्तरित करने की व्यवस्था आपने व्यय पर स्वयं वहन करनी पड़ेगी।**
7. **कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित लो0नि0वि0 के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक रूप से अवगत कराना होगा।**

क्रमशः–2

8. उपरोक्त कार्य हेतु निर्गत एन0ओ0सी0 के निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार लो0नि0वि0 के पास रहेगा।
9. उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में यदि किसी बिन्दु का अक्षरसः पालन नहीं किया जाता है, तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आपका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. उक्त अनुमति की वैधता पत्र निर्गत किये जाने के डेढ़ माह तक होगी, तत्पश्चात् अनुमति स्वतः समाप्त मानी जायेगी। उक्त तिथि से अधिक समय में कार्य पूर्ण किये जाने की स्थिति में पूर्व में दिये गये रोड कटिंग चार्जेज (सिक्योरिटी डिपॉजिट) रिफण्डेबिल बैंक गारण्टी के सापेक्ष नई बैंक गारण्टी जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली के नाम बन्धक हो, खण्ड में प्रस्तुत करना होगी।

उक्त आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

(अरविन्द कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
22/10

पत्राँक / **दिनाँक**/ /2021

प्रतिलिपि–

1. सहायक अभियन्ता (चतुर्थ) को उनके पत्रांक–289/एनओसी दिनांक–21.10.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. खण्डीय कैशियर को **ड्राफट सं0–977062 दि0–04.09.2021 धनराशि रू0 1382.00 मात्र एवं बैंक गारण्टी संख्या 0193721BG0000024 दिनांक 02.09.2021 रू0 2,62,200.00 मात्र मूल में** इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि ड्राफट सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायें एवं बैंक गारण्टी को अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाये।
   संलग्न–**उक्त ड्राफट एवं बैंक गारण्टी मूल में।**

अधिशासी अभियन्ता